

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

E-Mail

अधिसूचना संख्या:- 11/अ0प्र0-13-14/2023 8018 पटना, दिनांक 19/12/23
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1475 (S) दिनांक-15.03.2023 एवं 2522
(S) दिनांक-09.05.2023 में संसूचित निर्णय/किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभागीय
पत्रांक-1614 (अनु0) दिनांक-27.03.2023 के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक-632 दिनांक-27.04.2023 से प्राप्त दायित्व रहित
अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथों/पथांशों को
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ/पथांश का नाम	हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि०मी०)
1.	लखीसराय/लखीसराय	1. टी01 रामगढ़ से शरमा जमुई रोड।	4.725 K.M
		2. टी10-टी07 कर्पूरी चौक लखीसराय से पचना रोड शेखपुरा सीमा तक।	11.40 K.M
		3. बिल्लो-चेवाड़ा पथ।	7.04 K.M
		4. Murwariya To Ramnager Road	2.963 K.M
		5. Ramchandrapur To Aliwali Road	3.150 K.M

2. उक्त तालिका में अंकित विभागीय स्वामित्व वाले पथ/पथांश निम्न शर्तों के अधीन
हस्तांतरित है:-

- (1) निर्माण कार्य कराने पर किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मत/सुरक्षा
पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकार की होगी।
- (2) निर्माण कार्य के समय संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
अंचल, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय को
निश्चित रूप से ससमय सूचना दी जायेगी, ताकि इसकी जाँच आवश्यकतानुसार
समय-समय पर उनके द्वारा की जा सके तथा उनके द्वारा दिये गए दिशा-निर्देश के
अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।
- (3) कार्य समाप्ति के उपरांत स्थल से अनावश्यक सामग्रियों, मलवा आदि को हटाने
एवं साफ सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले प्राधिकार की होगी।
- (4) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया
जायेगा।

3. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-1548 (S) सहपठित
ज्ञापांक-1549(S) दिनांक-25.02.2020 में वर्णित प्रावधान के आलोक में संदर्भित पथ/पथांश

4. 5/

5/

6/

के हस्तांतरण प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/12/2023
(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक 19/12/23

ज्ञापांक:- 11/अ0प्र0-13-14/2023 8019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2023
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 11/अ0प्र0-13-14/2023 8019

पटना, दिनांक 19/12/23

प्रतिलिपि:- सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख(मुख्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार/संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2023
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 11/अ0प्र0-13-14/2023 8019

पटना, दिनांक 19/12/23

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-02, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2023
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 11/अ0प्र0-13-14/2023 8019

पटना, दिनांक 19/12/23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2023
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 11/अ0प्र0-13-14/2023 8019

पटना, दिनांक 19/12/23

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि इस अधिसूचना पत्र को विभागीय Website पर निश्चित रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

13/12/2023
सरकार के विशेष सचिव

दिनांक